लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स पैरागुड़ा सेण्ड माईन (प्रो. श्री उमेश कुमार बर्मन), ग्राम– पैरागुड़ा, तहसील – कसडोल, जिला – बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.), खसरा नं. – 01, कुल क्षेत्रफल – 4.99 हेक्टेयर में प्रस्तावित नदी रेत खदान परियोजना (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता – 89,820 घनमीटर/वर्ष व मेसर्स पुटपुरा सेण्ड माईन (प्रो. श्री उमेश बर्मन), ग्राम– पुटपुरा, तहसील – कसडोल, जिला – बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.), खसरा नं. – 1/1 का (भाग), कुल क्षेत्रफल – 4.99 हेक्टेयर में प्रस्तावित नदी रेत खदान परियोजना (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता – 89,820 घनमीटर/वर्ष के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 28.11.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के तहत मेसर्स पैरागुड़ा सेण्ड माईन (प्रो. श्री उमेश कुमार बर्मन), ग्राम – पैरागुड़ा, तहसील – कसडोल, जिला – बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.), खसरा नं. – 01, कुल क्षेत्रफल – 4.99 हेक्टेयर में प्रस्तावित नदी रेत खदान परियोजना (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता – 89,820 घनमीटर/वर्ष व मेसर्स पुटपुरा सेण्ड माईन (प्रो. श्री उमेश बर्मन), ग्राम– पुटपुरा, तहसील – कसडोल, जिला – बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.), खसरा नं. – 1/1 का (भाग), कुल क्षेत्रफल – 4.99 हेक्टेयर में प्रस्तावित नदी रेत खदान परियोजना (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता – 89,820 घनमीटर/वर्ष प्रस्तावित नदी रेत खदान परियोजना (गौण खनिज), उत्खनन क्षमता – 89,820 घनमीटर/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् संयुक्त लोक सुनवाई कराने हेतु छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया है। दैनिक समाचार पत्रों द पायनिर नई दिल्ली में दिनांक 27/10/2024 एवं नई दुनिया में दिनांक 28/10/2024, रायपुर को लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित करवाई जाकर दिनांक 28.11.2024 समय 10:00 बजे लोकसुनवाई का आयोजन हाईस्कूल मैदान, ग्राम– पुटपुरा, तहसील – कसडोल, जिला – बलौदाबाजार – भाटापारा (छ.ग.) में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर और जिला प्रशासन जिला – बलौदाबाजार – भाटापारा द्वारा संयुक्त रुप से किया गया है, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रेषित की गई व तामिली भी ली गई।

परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् लोक सुनवाई दिनांक 28.11.2024 को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार – भाटापारा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर तथा गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं लगभग 150

जन सामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रातः 10:00 बजे आरंभ हुई।

2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों ने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये है, उनकी सूची संलग्नक–01 अनुसार है, (पृष्ठ क्रमांक 01 से 07 तक)।

3. क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते हुये अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदय से लोक सुनवाई आरंभ करने का निवेदन किया गया।

4. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की गई तथा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित परियोजना के संबंध में जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया।

5. परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री उमेश कुमार बर्मन, ने कहा कि आज दिनांक 28.11.2024 को हाईस्कूल मैदान, ग्राम– पुटपुरा, तहसील – कसडोल, जिला– बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.) में परियोजना प्रस्तावक श्री उमेश कुमार बर्मन आवेदित पैरागुड़ा व पुटपुरा सेण्ड माईन खनन परियोजना (प्रो. उमेश कुमार बर्मन), प्रस्तावित नदी रेत खदान परियोजना के पर्यावरण स्वीकृति के तहत् लोक सुनवाई कार्यक्रम में माननीय अपर कलेक्टर महोदय, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, जिला रायपुर, समस्त गणमान्य आगन्तुक एवं उपस्थित ग्रामवासी का मैं स्वागत करता हूँ और माननीय अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा महोदय की अनुमति से हमारे द्वारा आवेदित पैरागुड़ा व पुटपुरा सेण्ड माईन रेत खदान के लोक सुनवाई में परियोजना के संबंध में जानकारी देने हेतु नेबेट प्रमाणिक अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, ठाणे के पर्यावरणीय सलाहकार मंडल के सदस्य को आमंत्रित करता हूँ।

श्री बुद्ध देव पाण्डेय, नेबेट प्रमाणित मे. अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, ठाणे के पर्यावरणीय सलाहकार की ओर से कहा गया कि माननीय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जिला बलौदाबाजार– भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, समस्त गणमान्य आगन्तुक एवं उपस्थित समस्त ग्रामवासी परियोजना प्रस्तावक श्री उमेश कुमार बर्मन की पैरागुड़ा व पुटपुरा सेण्ड माईन खनन परियोजना के अंतर्गत

प्रस्तावित नदी रेत खदान परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत् आज दिनांक 28/11/2024 को आयोजित क्लस्टर में स्थित दो खदानों लोकसुनवाई कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पैरागुड़ा रेत खदान, रकबा – 4.99 हेक्टेयर और उत्पादन क्षमता – 89,820 घनमीटर/वर्ष व पुटपुरा रेत खदान, रकबा – 4.99 हेक्टेयर और उत्पादन क्षमता – 89,820 घनमीटर/वर्ष है। कुल क्लस्टर क्षेत्र – 9.98 हेक्टेयर है। संयुक्त लोकसुनवाई का आयोजन 'हाईस्कूल मैदान', ग्राम– पुटपुरा, तहसील –कसडोल, जिला– बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.) में दिनांक 28/11/2024 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर और जिला प्रशासन जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा संयुक्त रुप से किया गया है। जन सुनवाई की प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार है 14 सितंबर 2006 के ईआईए नोटिफिकेशन और इसके अधीन किए गए संशोधनों के अनुसार क्षेत्र बी–1 श्रेणी में आता है, जिसके अंतर्गत आज आयोजित लोक सुनवाई का कार्यक्रम पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया का आवश्यक भाग है। लोक सुनवाई की जानकारी को 2 समाचार पत्रों क्रमशः नई दुनिया रायपुर में दिनांक 28/10/2024 एवं द पायोनियर नई दिल्ली, में दिनांक 27/10/2024 को प्रकाशित किया गया है। लोक सुनवाई संपन्न होने की नियत तिथि एवं स्थान की सूचना को सार्वजनिक किया गया। आदेशानुसार कोटवार ग्राम पंचायत– पैरागुड़ा एवं पुटपुरा द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थानों पर लोकसुनवाई का दिन समय और स्थान को मुनादी करते हुए जनसामान्य को सूचना दी गयी। लोक सुनवाई हेतु जन सूचना के सम्बन्ध में, कार्यालय कलेक्टर जिला बलौदाबाजार– भाटापारा, द्वारा दिनांक 18/10/2024 को पत्र जारी किया गया था। खनिज विभाग जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 के नियम 6 के अनुसार रेत खदान की नीलामी के उपरांत आवेदक को अधिमानी बोलीदार घोषित करने के साथ, आवश्यक शासकीय अनुमति एवं प्रपत्र के साथ 5 वर्षों के रेत खनन के लिए आशय पत्र जारी किया गया है, सेण्ड माईन खदान का उत्खनिपट्टा के लिए नियमानुसार समस्त शासकीय अनुमतियां प्राप्त की गयी है एवं की जा रही है। आवेदित क्षेत्र से संवेदनशील संरचनाओं की दूरी मानकों से अधिक है। अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार पैरागुड़ा रेत खदान में कुल रिकव्हरेबल रिजर्वस 89,820 घनमीटर है व पुटपुरा रेत खदान में कुल रिकव्हरेबल रिजर्वस 89,820 घनमीटर है। पैरागुड़ा सेण्ड माईन एवं पुटपुरा सेण्ड माईन में वर्षवार उत्पादन के क्रम में, 5 वर्षों तक, प्रति वर्ष 89,820 घनमीटर उत्पादन प्रस्तावित है। पैरागुड़ा व पुटपुरा रेत कुल जल की आवश्यकता 10.00 किलो लीटर प्रतिदिन होगी। खदान में कुल जनशक्ति की आवश्यकता 28 व्यक्ति होगी। खदान में कुल मशीनों एवं उपकरणों की संख्या 8 होंगी। जलवायु स्थिति – अध्ययन काल – शीत ऋतु 2023

–24 (20 अक्टूबर 2023 से 20 जनवरी 2024) तक अधिकतम तापमान – 28.4 °C, न्यूनतम तापमान – 7.38°C, हवा की गति– 2.19 मीटर/सेकंड, प्रभावी पवन दिशा– उत्तर – पूर्व, औसत वर्षा – 0–1.92 मिलिमीटर रही। वायु, ध्वनि, जल एवं मृदा के विश्लेषण के परिणाम निर्धारित मानकों के भीतर पाए गये। वायु, जल, मृदा, स्वास्थ्य, वनस्पति एवं जीव प्रबंधन के लिए लोडिंग (भरना) – लोडिंग और हॉल रोड पर पानी का छिडकाव किया जायेगा। परिवहन के लिए ट्रकों को तारपोलिन द्वारा ढका जाएगा। ओवर लोडिंग को रोका जायेगा। सभी परिवहन साधनों के लिए वैध पी.यू.सी. होना सुनिश्चित किया जाएगा। पौधारोपण के लिए एप्रोच सड़क, कच्ची सड़कों में एवं नदी तट पर में पौधे लगाकर हरित पट्टिका का विकास किया जाऐगा। वायु गुणवत्ता के लिए वाहनों की आवाजाही और लोडिंग आदि के कारण धूल के उत्पादन और प्रभाव और प्रदूषण को कम करने के पानी का छिडकाव किया जायेगा। डीजल इंजनों का नियमित रखरखाव किया जायेगा। सतह जल प्रबंधन में सतही जल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी। सक्रिय चैनल में खनन नहीं किया जाएगा और सक्रिय चैनल के साथ न्यूनतम 3 मीटर का बफर जोन छोड़ा जाएगा ताकि जलीय जीवन और नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा न आए। भूमिगत जल प्रबंधन में आवेदित नदी तल क्षेत्र पर दोनों खदानों में रेत का जमाव औसत 5.10 मीटर या उससे अधिक की गहराई तक है। इस क्षेत्र में भूजल स्तर नदी के तल की सतह के स्तर से 4.05 से 4.15 मीटर गहराई से नीचे है। खनन 3 मीटर जल स्तर की गहराई तक सीमित रहेगा। रेत में कोई विषैला तत्व नहीं होता है, इस प्रकार भूजल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपशिष्ट जल प्रबंधन में खनन कार्य के दौरान कोई अपशिष्ट जल उत्पन्न नहीं होगा। अस्थायी साइट कार्यालय और एक विश्राम आश्रय का निर्माण किया जाएगा। खदान कार्यालय और विश्राम आश्रय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किए जाएंगे। स्वास्थ्य, सुरक्षा हेतु ऑन – साइट प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, है और आपात स्थिति में कर्मचारियों को स्थानीय समुदाय तक पहुंचाया जाएगा। ध्वनि गुणवता प्रबंधन के लिए ध्वनि स्तर को कम करने के लिए वाहनों एवं मशीनों का उचित रख–रखाव, आइलिंग एवं ग्रीसिंग की जायेगी। सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगें। ध्वनि के प्रसार को कम करने के लिए कच्ची सड़कों एवं नदी तट एवं अप्रोच सड़क पर हरित पट्टिका का विकास किया जाऐगा। आवधिक ध्वनि परीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा। जोखिम वाले श्रमिकों द्वारा कान के मफस का उपयोग किया जाएगा। खनन उपकरण पर काम करते समय COVID -19 को देखते हुए कान के मफ, मास्क और सभी आवश्यक पीपीई प्रदान किए जाएंगे। खदान के समीप नदी के तट पर, स्थित खसरा नंबर 6/1 एवं 1437/6 में कुल 2,000 स्थानीय प्रजाति के पौधें जैसे

अर्जुन, जामुन ,करंज, सीसम कदम्ब आदि पौधे लगाए जायेंगे एवं सुरक्षा के लिए फेंसिंग की जावेगी। समाजिक–आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव परियोजना से समीपस्थ कृषि भूमि को कोई नुकसान नही है। परिणामतः परियोजना गतिविधि से कोई भी अन्य भूमि या मानव बस्ती प्रभावित नही होगी। परियोजना के शुरु होने के साथ लोगों द्वारा अनुमानित किए जाने वाले प्रभाव की तुलना में बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव होगा। आसपास के निवासियों को बेहतर रोजगार और अवसर के साथ रखा जावेगा, जिससे भूमिहीन और श्रमिक वर्ग के लिए अधिक आजीविका का विकल्प पैदा होगा। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य मानकों के साथ परिवाहन और संचार सुविधा को क्षेत्र के आसपास विकसित किया जायेगा। जिसका स्थानीय निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। खनन कार्य से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार मिलेगा, जिससे निवासरत् लोगों का जीवनस्तर सामान्य से बेहतर होगा। आसपास के गांवों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा की सुविधा जैसे विकास कार्य लोगों की आवश्यकता के अनुसार योजना बनाई जाएगी जिसे ग्राम समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। आपदा प्रबंधन योजना – एक योग्य खान प्रबंधक के प्रबंधन नियंत्रण और निर्देशन में पूरा खनन कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम – 2019 एवं बाद में हुए संशोधनों, उसमे निहित निर्देशों के अनुसार खनन कार्य किया जाएगा। व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा माइन्स नियम, 1956 के अनुसार प्रारंभिक चिकित्सा जांच और श्रमिकों की आवधिक चिकित्सा जांच आयोजित की जाएगी। सफाई सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएगी। सभी कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सुविधाएँ एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय अपनाये जाएंगे। श्रमिकों को आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा कक्ष और सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। खदान के लिए उचित अग्निशमन सुविधाओं की व्यवस्था की जावेगी। परियोजना से लाभ निर्माण के लिए उपयोगी आर्थिक संसाधन उत्पन्न करना। रोजगार पैदा करना। अध्ययन क्षेत्र के लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार। भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार। सामाजिक अवसंरचना में सुधार। रोजगार क्षमता में वृद्धि। खनन के दौरान और बाद में हरित आवरण में वृद्धि। अवैध खनन की रोकथाम। राजकोष में योगदान। खान पट्टा क्षेत्र के आसपास के निवासी मुख्य रूप से कृषि प्रधान हैं। रोजगार गतिविधियों के अवसर सृजित होंगे और खनन स्थायी आजीविका के स्रोत के रूप में काम करेगा। खदान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार सृजित करेगी। अतिरिक्त, परिवहन जैसे कुछ कार्यों को अनुबंध पर आउटसोर्स किया जाएगा। इसलिए, खनन का समग्र प्रभाव सकारात्मक रहने की उम्मीद है। परियोजना की लागत पैरागुड़ा सेण्ड माईन एवं पुटपुरा सेण्ड माईन की कुल पूंजी लागत की राशि – 52.43 लाख रुपये

है। खदान के लिए सीईआर की कुल राशि. 1.44 लाख रुपये होगी। पर्यावरण प्रबंधन योजना पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत खदान के नदी तट क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं एप्रोच रोड ,रैंप में जल छिड़काव की व्यवस्था, सड़क के रखरखाव, खान श्रमिकों के लिए सुविधाएं एवं पर्यावरण की निगरानी एवं ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर इत्यादि के लिए बजट – कुल पूंजीगत लागत – 2,09,125 एवं 2,10,625, कुल आवर्ती लागत दोनों खदानों में – 4,32,000, प्रथम वर्ष में ईएमपी की कुल लागत दोनों खदानों में – 4,41,125 होगी। संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत खदान के समीप नदी के किनारे वृक्षारोपण एवं अप्रोच रोड मे जल छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी तथा पर्यावरण की निगरानी के साथ–साथ ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि के लिए भी संयुक्त रूप से पृथक बजट बनाया जायेगा। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि खनन परियोजना के क्रियाकलापों के प्रारंभ होने के साथ ही आसपास के क्षेत्र में एवं स्थानीय निवासियों को जीवन स्तर को ऊपर उठाने और बुनियादी ढॉचें के विकास का अवसर प्राप्त होगा। खनन परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रुप से रोजगार का सृजन होने से क्षेत्र के निवासियों को उपलब्ध संशाधनों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह खनन परियोजना से राज्य के राजकोष में राजस्व में भागीदारी के साथ–साथ राज्य के वित्तीय विकास में अपना अंशदान एवं योगदान भी देगा। जो राज्य शासन के वित्तीय विकास मे क्षेत्र निवासियों की भागीदारी साबित करेगा। परियोजना से संबंधित अन्य जानकारियां परियोजना से संबंधित अन्य समस्त जानकारियां पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन रिपोर्ट, कार्यकारी सारांश इत्यादि को, नियमानुसार पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराई गई है। प्रस्तुतीकरण की प्रति, लोकसुनवाई के अध्यक्ष, अपर कलेक्टर जिला बलौदाबाजार – भाटापारा, क्षेत्रीय अधिकारी राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर तथा सहयोगी दल को भी उपलब्ध करा दी गयी है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा के द्वारा कहा गया कि अभी आपके सामने परियोजना का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में विचार व्यक्त करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूॅ। आप कृपया यहां पर आयें माईक के पास एक–एक कर के और इस परियोजना के संबंध में अपना पक्ष या विपक्ष जो भी आप कहना चाहते हैं आकर अपना विचार रखें। आप अपना विचार व्यक्त करने से पहले अपना नाम और गांव का नाम बतायें। इसके बाद आप अपना विचार रखें। जिनको लिखित में देना है, वो लिखित में भी दे सकते हैं। मंच के पास काऊंटर बना है, वहां आप अपना लिखित में अभ्यावेदन दे सकते हैं और जिनको बोलना है वो कृपया माईक पर आयें और अपना विचार व्यक्त करें।

1. श्री लोकनाथ यादव, ग्राम– पुटपुरा ने कहा कि मैं इस खदान का समर्थन करता हूँ।

2. श्री कमलेश कुमार साहू, ग्राम– पुटपुरा ने कहा कि इस रेत खदान खुलने से इस गाँव का और ग्राम पंचायत का विकास होना चाहिए तो मैं इस रेत खदान का समर्थन करता हूँ।
3. श्री अविनाश मिश्रा, जनपद सदस्य कसडोल ने कहा कि माननीय अपर कलेक्टर महोदय और सभी अधिकारियों का स्वागत है हमारे ग्राम में। जैसा कि कमलेश जी ने कहा कि गाँव का विकास होना चाहिए तो निश्चित रूप से गाँव का विकास होता हैं क्योंकि गौण खनिज मद से आने वाला पैसा ग्राम पंचायत को भी मिलता हैं। अगर इस क्षेत्र में खदान चलता हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्षेत्र में बहुत अवैध खनन होता था इसमें किसी भी मानकों का पालन नहीं होता था। खुशी की बात यह है कि परियोजना प्रस्तावक महोदय ने बहुत स्पष्ट बताया है कि प्रत्येक गाड़ी में तारपोलिन लगाया जाएगा, वृक्षारोपण भी कराया जाएगा, गाँव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और ग्राम पंचायत को राशि भी आबंटित होगी। यह बहुत ही अच्छी बात है कि खदान से रोजगार भी मिलेगा ग्रामवासियों को और हमें रेत के अवैध उत्खन्न से मुक्ति मिलेगी। मैं जनपद सदस्य, कसडोल का होने के नाते मैं इस खदान का समर्थन करता हूँ। और मेरा आपसे निवेदन हैं कि स्कूल के समय पर भारी वाहन न चलें क्योंकि इससे छोटे बच्चों को परेशानी होती है। कोई भी वाहन चालक गाँव में शराब पीकर ना आए और कोई भी अवैध गतिविधि न करे।
4. श्री देव कुमार साहू, ग्राम– पुटपुरा, ने कहा कि मैं एक छोटा सा किसान हूँ इस गाँव का और मुझे इस रेत खदान के खुलने से आपत्ति है क्योंकि आज तक इस गाँव में कुछ भी विकास नहीं हुआ हैं, इसलिए महोदय आज मैं आपके पास आज आया हूँ। जो इसका समर्थन कर रहें वो हमे बताएँ कि क्या विकास हुआ हैं? हमें खेती में भी बहुत नुकसान होता है, पानी की व्यवस्था नहीं हैं। आप से निवेदन है कि नदी में डैम का निर्माण पहले करवा दीजिए फिर आप यहाँ से रेत खनन करके ले जाइये, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं हैं।
5. श्री भगवती प्रसाद निषाद, ग्राम– कसडोल, ने कहा कि मैं रेत खदान खुलने से सहमत हूँ।
6. श्री शोभा राम वर्मा ग्राम – पुटपुरा, ने कहा कि रेत घाट चालू होना चाहिए इससे आम जनता को परेशानी होता है रेत न मिलने से जो लोकल ग्रामवासी हैं उनको परेशानी होती हैं उससे निजात मिलेगा। इसलिए मैं इस रेत खदान का समर्थन करता हूँ।
7. श्री रोहित कुमार केंवट, उप सरपंच, ग्राम– कुकुरडीह, ने कहा कि रेत घाट के लिए मकान अधूरा पड़ा हुआ है तो माननीय अधिकारी से निवेदन है कि रेत खदान खुलने का आदेश दिया जाए।

8. श्री जोतराम साहू, ग्राम– पुटपुरा, ने कहा कि जो देव कुमार साहू जी ने कहा कि वो सहीं बात हैं कि हमारे गाँव में पानी की बहुत समस्या है।
9. श्री लोकनाथ वर्मा, ग्राम– अमेठी, खैरा, ने कहा कि महोदय रेत खदान चालू होना चाहिए क्योंकि इससे गाँव का फायदा और विकास होता हैं और ग्राम पंचायत को भी राजस्व का फायदा मिलता है। मैं इस रेत खदान का समर्थन करता हूँ।
10. श्री आलोक नाथ यादव, उप सरपंच, ग्राम पंचायत पुटपुरा, ने कहा कि महोदय पिछली बार जो रेत खदान यहाँ था उसका रायल्टी का पैसा अभी तक नहीं मिला। माइनिंग डिपार्टमेंट से एक रशीद मिली थी जिसकी प्रति मैं यहाँ आप को दे रहा हूँ। बस यही जानकारी चाहिए और पानी की समस्या भी बहुत गंभीर हैं उस पर भी ध्यान दीजिए।
11. श्री रमेश कुमार साहू, ग्राम– कसडोल, ने कहा कि यहाँ आए हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मैं स्वागत करता हूँ। मेरा कहना है कि भारत सरकार के साथ–साथ छत्तीसगढ़ सरकार है जो हमारे गाँव–गाँव में आवास योजना ला रही हैं। मगर आज रेती हम गाँव वासियों को नहीं मिल रहा है और सभी अवैध तरीके से उत्खन्न कर रहे हैं जिससे गाँव प्रभावित हो रहा है और क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है, बिना किसी मापदंड और मानकों के रेत का उत्खन्न हो रहा है। मगर उद्बुरा गाँव क्षेत्र में जितने भी रेत घाट चालू होंगे और उन्हें हमारा समर्थन मिलेगा तो हमें सस्ते दर में रेत मिलेगा। जिससे जो हमारे मकान के काम रुके हुए हैं, गाँव के विकास के काम रुके हुए हैं वो रेत के उपलब्धता से जोर–शोर से चालू हो जाएगा। ठेकेदार व मजदूर भाई के हित के लिए है जो परियोजना आती है वो गाँव के विकास के लिए होता हैं। सरकार की आवास योजना रेत की कमी के कारण प्रभावित हो रही हैं। इसलिए मैं इस रेत घाट के लिए स्वीकृति एवं लोक सुनवाई का मैं समर्थन करता हूँ।
12. श्री अशोक कुमार यादव, ग्राम– कसडोल, ने कहा कि महोदय रेत खदान को स्वीकृति मिलना चाहिए क्योंकि अभी यहाँ से अवैध उत्खन्न होता है जो रेत घाट खुलने से बंद हो जाएगा और जो लड़ाई–झगड़े होते हैं वो बंद होगा और हम स्वतंत्र रूप से अपना मकान का निर्माण करवा सकेंगे।
13. श्री लक्ष्मी नारायण साहू, ग्राम– पुटपुरा, यह रेत घाट को चालू करने का मैं समर्थन करता हूँ।
14. श्री राम कुमार साहू, ग्राम– पुटपुरा, ने कहा कि रेत घाट को स्वीकृति देना चाहिए गाँव के सभी लोगों को मिलकर सहमति देना चाहिए और यहाँ बाँध बनना चाहिए यह हमारे किसान भाईयों के लिए बहुत जरूरी है।
15. श्री धनसिंह निषाद, ग्राम– पुटपुरा, ने कहा कि मेरी यही गुहार है कि यहाँ सिर्फ एक ही शिक्षक है और स्कूल में दो कर्मचारी है, मेरी यही समस्या है।

16. श्री शम्भु निषाद, ग्राम– पुटपुरा, ने कहा कि मैं अवैध रेत उत्खनन का विरोध करता हूँ। गाँव को इससे कोई फायदा नहीं होता है। चितावर नाला को बनाया जाए।
17. श्री जगदीश पांडे, ग्राम– पुटपुरा, ने कहा कि रेत खदान चालू होने से पहले नदी में बाँध का निर्माण किया जाए उसके बाद ही रेत उत्खन्न का कार्य होना चाहिए।
18. श्री कमल बांधे, प्रदेश अध्यक्ष, इंटक, छत्तीसगढ, ने कहा कि आज के पर्यावरणीय लोक सुनवाई में पहुंचे हैं आदरणीय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी, आदरणीय एस. डी. एम. साहब, आदरणीय तहसीलदार साहब, हमारे पर्यावरण संरक्षण विभाग के सभी अधिकारी, श्रम व खनिज विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी और हमारे थाना प्रभारी आदरणीय कसडोल एवं समस्त स्टाफ और हमारे साथी भाई और हमारे पैरागुड़ा और पुटपुरा के सरपंच एवं पंच, सभी मजदूर यूनियन के साथी आस–पास से आये हुए हमारे जन प्रतिनिधि लोग, हमारे मीडिया के सभी साथी लोग, आज पैरागुड़ा और पुटपुरा ग्राम के सेण्ड माईन को मैं बहुत विरोध करता हूँ और आज के पर्यावरणीय लोक जन सुनवाई को निरस्त करने का समर्थन करता हूँ। आज मेसर्स पैरागुड़ा सेण्ड माईन एवं पुटपुरा सेण्ड माईन ग्राम पुटपुरा, तह– कसडोल जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा के आज के पर्यावरणीय लोक जन सुनवाई हमारे पुटपुरा ग्राम के हायर सेकेण्डरी स्कूल में हो रही हैं। अभी हमारे ग्राम के बच्चे लोग की कक्षाएं चल रही है और इस समय में स्कूल में लोक सुनवाई का कार्यक्रम कहाँ तक उचित हैं ? लोक जन सुनवाई अनियत्र किसी और जगह में भी आयोजित हो सकती थी फिर इस स्कूल में लोक जनसुनवाई करवाना कहाँ तक उचित हैं। पुटपुरा गाँव एवं पैरागुड़ा गाँव छत्तीसगढ की पावन धरती पर पावन नदी महानदी के किनारे बसे हमारे पुटपुरा गाँव में सेण्ड माईन स्वीकृत होने से प्राकृतिक सुन्दरता को नुकसान होगा। रेत के अन्धाधुंध खनन से पर्यावरण को क्षति होगी साथ ही नदी का कटाव होगा जिससे सैकड़ों पेड़–पौधों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पर्यावरण को हानि होगा और रेत दुलाई के लिए चलने वाले बड़े वाहनों से इस गाँव के करोड़ो रूपये से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बने सड़क का हाल जर्जर हो जाएगा, ग्रामवासियों का सड़क पर चलने में परेशानी होगी। अभी तक मैंने देखा जो बोर्ड लगा है उसमें जिला सेक्टर द्वारा आदेशित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्षमता 12 टन बताई गई है और रेत खदान में चलने वाले हाईवा ट्रक 35 से 40 टन तक के होते हैं। तो कहाँ से यह सड़क उन भारी वाहनों के भार को सह पाएगा, साथ ही सेण्ड माईन से खनन होने से भूमि का क्षरण होगा और महानदी से रेत निकालने से गाँव की सरहद कम हो जाएगा और फसल चौपट हो जाएगा। बाद में बाढ़ आने का खतरा होगा और भूमि के क्षरण होने से मिट्टी के

नदी में बहने से गाँव का नुकसान होगा। गाँव के पशुओं के लिए चारागाह की जगह नहीं बचेगी। प्रस्तावक के पास EIA की रिपोर्ट नहीं हैं इसलिए प्रस्तावक का लाईसेंस निरस्त किया जाए और इस लोक जन सुनवाई की जानकारी गाँव में चस्पा नहीं की गई हैं, साथ ही ग्राम सभा से अनुमोदन भी नहीं हुआ हैं। इस प्रकार गाँव वालों को अंधेरे में रखकर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के EIA नोटिफिकेशन 2006 को उल्लंघन करते हुए आज की लोक जन सुनवाई आयोजित हो रही है। इसका मैं पूर्ण विरोध कर रहा हूँ साथ ही लोकजनसुनवाई को निरस्त किया जाए नहीं तो हम स्थानीय जन प्रतिनिधि, स्थानीय ग्रामवासियो के साथ, स्थानीय नेता के साथ मिलकर जन आन्दोलन करने के लिए बाध्य होंगे जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी मेसर्स पैरागुडा सेण्ड माईन के प्रस्तावक और शासन प्रशासन की होगी। पुनः मै लोक जनसुनवाई को निरस्त करने की माँग करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

19. श्री लक्ष्मेन्द्र अग्रवाल, बलौदाबाजार ने कहा कि मैं आदरणीय अपर कलेक्टर क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण अधिकारियों का स्वागत करता हूँ। किसी जगह का विकास जो हैं वो वहाँ के जरूरतों के हिसाब से होता हैं । अभी जो सड़क हैं वो अभी यहाँ की जरूरतों के हिसाब से हैं। किसी भी संसाधनों का उपयोग होने के बाद वहाँ सड़कों का निर्माण होता हैं, यहाँ भी संसाधनों के उपयोग पश्चात् सड़कों का निर्माण होगा। किसी भी जगह के संसाधनों के उपयोग करने से उस जगह का विकास होता हैं। मैं इस सेण्ड माईन का समर्थन करता हूँ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा कहा गया कि इस जनसुनवाई में जो आम जनता के द्वारा जो अपना विचार व्यक्त किया गया है, उसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक क्या विचार रखते हैं, वो आकर अपना स्पष्टीकरण दें।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री उमेश कुमार बर्मन, ने कहा कि मेरे द्वारा आवेदित पैरागुड़ा व पुटपुरा रेत खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत् आयोजित लोक सुनवाई कार्यक्रम में ग्रामवासियों के द्वारा सुझाये गये विकल्पो के संबंध में हमारी ओर से जवाब देने के लिए नेबेट में प्रमाणिक अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, ठाणे के पर्यावरणीय सलाहकार मंडल के सदस्य को आमंत्रित करता हूँ।

श्री बुद्ध देव पाण्डेय द्वारा बताया गया है कि दिनांक 28.11.2024 को हाई स्कूल मैदान, ग्राम पुटपुरा, तहसील कसडोल, जिला–बलौदाबाजार –भाटापारा (छ.ग.) में आवेदित पैरागुड़ा व पुटपुरा रेत खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत आयोजित लोक सुनवाई कार्यक्रम में ग्रामवासियों के द्वारा सुझाये गए विकल्पों को स्वीकार करते हुए माननीय अपर कलेक्टर जिला बलौदाबाजार–भाटापारा,

माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल क्षेत्रिय कार्यालय रायपुर, का परियोजना प्रस्तावक श्री उमेश कुमार बर्मन की ओर से यह आश्वासन देना चाहते हैं कि, प्रस्तावित रेत खदान के स्ंचालन के लिए अनुमोदित उत्खनन योजना, खनिज शाखा एवं पर्यावरण विभाग द्वारा निर्देशित नियमों का पूर्णतः पालन किया जावेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की आदर्श पुनर्वास एवं रोजगार नीति के अनुसार, योग्यता तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय ग्रामीणों को परियोजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जायेगा। रेत का परिवहन ग्रामीण मार्ग के अलावा अन्य गैर रहवासी क्षेत्र से होकर किया जावेगा। जिससे ग्रामीण मार्ग को नुकसान की संभावना निरंक है। नदी तट की सुरक्षा के लिए शासकीय नियमो के तहत नदी तट से पैरागुड़ा रेत खदान न्युनतम 120 से 210 मीटर तथा पुटपुरा रेत खदान नदी तट से न्युनतम 88 से 195 मीटर की दूरी छोड़कर नदी के मध्य खनन किया जावेगा। इसके साथ ही नदी तट क्षेत्र में पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत 2,000 नग पौधे, स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण तथा सुरक्षा के लिए चेनलिंक फेंसिंग के साथ, नियत अंतराल पर वृक्षारोपण किया जावेगा। ग्रामवासियों के द्वारा अन्य सुविधाओं की मांग जैसे बांध, एनीकट, सिंचाई की सुविधा एवं ग्राम पंचायत में विकास के अन्य कार्यों के बारे में यह कहना चाहेंगें की खदान के संचालन के दौरान पट्टेदार द्वारा रायल्टी के साथ–साथ जिला खनिज निधि (DMF) के रूप म निर्धारित राशि प्रतिमाह शासन को जमा की जावेगी, जिसका उपयोग शासन द्वारा इन मदों में किया जाता है। माननीय अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से हमारा अनुरोध है की ग्रामवासियों के द्वारा की गयी मांगों को यथोचित संज्ञान में लेते हुए, निर्णय में लेते हुए सम्बंधित कार्यालय को सूचित करने की कृपा करें। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम–2019, के अनुसार समस्त सार्वजनिक स्थलों से नियमानुसार दूरी रखते हुए रेत उत्खनन हेतु कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.), द्वारा सम्बंधित विभागों जैसे ग्राम पंचायत, राजस्व विभाग, खनिज विभाग, वन विभाग इत्यादि से कानून सम्मत नियमानुसार प्रक्रिया के तहत अनुमति/जॉच प्रतिवेदन मॅगाया जाता है। विभिन्न विभागों के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन को जॉच लेने के पश्चात्, चिन्हांकित सीमांकित करते हुए घोषित किया जाता है। कार्यालय कलेक्टर जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.), द्वारा टेंडर/ऑक्शन जारी करते हुए विजेता को आशय पत्र जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम–2019, सस्टेनेबल सेंड माइन गाइडलाइन 2016 एवं एनफोर्समेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन फॉर सैंड माइनिंग 2020 के अनुसार नियत प्रतिबंधित दूरी छोड़ते हुए

रेत का खनन नियमानुसार प्रस्तावित है इसके साथ ही नदी तट की सुरक्षा के लिए शासकीय नियमो के तहत पैरागुड़ा रेत खदान से न्युनतम 120 से 210 मीटर तथा पुटपुरा रेत खदान से न्युनतम 88 से 195 मीटर की दूरी छोड़कर नदी के मध्य खनन किया जावेगा। जलीय जीवन और तटीय आवासों की सुरक्षा के लिए सक्रिय चैनल में खनन नहीं किया जाएगा और सक्रिय चैनल के साथ न्यूनतम 3 मीटर का बफर जोन छोड़ा जाएगा ताकि जलीय जीवन और नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा न आए। भूजल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी क्योंकि खनन की प्रस्तावित गहराई 3 मीटर, है और जलस्तर की गहराई से 1 मीटर ऊपर तक खनन सीमित रहेगा। भूमिगत जल के नीचे खदान में उत्खनन पूर्णतः प्रतिवंधित होगा। भूजल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी क्योंकि खनन तत्समय के जलस्तर की गहराई से उपर तक सीमित रहेगा। अध्ययन काल के दौरान किये गए ट्रैफिक घनत्व के विश्लेषण में मौजूदा और आवेदित खदान के खुलने के बाद पड़ने वाले अपेक्षित प्रभावो का विश्लेषण किया गया। जिसके अनुसार वर्तमान रोड की केयरिंग कैपिसिटी आवेदित खदान से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त ट्रैफिक लोड को वहन करने में सक्षम है। हमारे प्रकरण में लोक सुनवाई के दौरान जो भी आपत्ति, सुझाव या मुद्दे उठाए गये हैं उसके संबंध में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब एवं जानकारियों के अनुसार निराकरण किया जाएगा। इस सम्बन्ध में शपथ पत्र भी राज्य स्तर पर्यावरण समाघात प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जावेगा। ग्रामवासियों के द्वारा दिए गए सुझाव एव ंसमर्थन का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा ने कहा कि आज इस जन सुनवाई में जो भी कार्यवाही की गई वो सभी रिकॉडिंग कर ली गई है। आप सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विचार अपना अभिमत व्यक्त किया, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करती हूॅ और आज की जन सुनवाई यहीं पर समाप्ति की घोषणा करती हूॅ। लगभग 11:45 बजे लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई। लोकसुनवाई के संबंध में प्राप्त आवेदनों की संख्या 35 है। संपूर्ण लोकसुनवाई की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)